भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2784
(जिसका उत्तर मंगलवार, 25 मार्च, 2025/4 चैत्र, 1947(शक) को दिया जाना है)

आयकर अधिकारियों की व्यक्तिगत ईमेल, सोशल मीडिया और बैंक खातों तक पहुंच

2784. **श्री रीताब्रता बनर्जी:**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) क्या आयकर अधिकारियों को सभी करदाताओं के व्यक्तिगत ई-मेल, सोशल मीडिया और बैंक खातों तक पहुंच की अनुमति दी जाएगी; और
(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

उत्तरः
वित्त राज्य मंत्री
(श्री पंकज चौधरी)

(क) तथा (ख):- जी नहीं, मौजूदा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 132 प्राधिकृत अधिकारी को किसी भी ऐसे व्यक्ति से, जिसके पास सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 2 की उप-धारा (1) के खंड (न) में परिभाषित इलेक्ट्रॉनिक रिकार्ड के रूप में रखी गई किसी भी लेखा बही या अन्य दस्तावेजों का स्वामित्व या नियंत्रण हो, यह अपेक्षा करने के लिए सक्षम बनाती है कि वह तलाशी और जब्ती के दौरान ऐसी लेखा बही या अन्य दस्तावेजों का निरीक्षण करने के लिए आवश्यक सुविधा प्रदान करे।

आयकर विधेयक, 2025 में धारा 247 की उपधारा (1) के खंड (ii) के अंतर्गत इसी प्रकार के प्रावधान की व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त, प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अधिकृत किए गए तलाशी और जब्ती के कतिपय मामलों में, जहां एक्सेस कोड उपलब्ध नहीं है और संबंधित व्यक्ति कार्यवाही में सहयोग नहीं कर रहा है, प्राधिकृत अधिकारी ऐसी कम्प्यूटर प्रणाली के एक्सेस कोड को अभिभावी (ओवरराइड) करके एक्सेस प्राप्त कर सकता है।